

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 12(9)गृह-1/2011-पार्ट

जयपुर, दिनांक 22.11.2016

आज्ञा

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 62(1) व 66 के प्रावधानों के अनुसार जिला सिरोही हेतु जिला स्तरीय पुलिस जवाबदेह समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है:-

1. श्री भूबाराम पुत्र श्री डायजी माली, अध्यक्ष  
निवासी-भाटकडा सिरोही तह. व जिला-सिरोही
2. श्रीमति अर्चना दवे पत्नी श्री हर्षदभाई दवे, सदस्य  
निवासी-छोटी दुढाई आबूपर्वत, तहसील-आबूरोड  
जिला-सिरोही
3. श्री प्रतापराम पुत्र श्री नसीगजी पुरोहित, सदस्य  
निवासी-भाटकडा सिरोही तह. व जिला-सिरोही
4. श्री मगनलाल पुत्र श्री जेताजी कोली, सदस्य  
निवासी-क्यारियां, तहसील-रेवदर, जिला-सिरोही
5. अति. पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) सिरोही सदस्य-सचिव

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 68 के प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 02 वर्ष का होगा।

समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को इस विभाग को आदेश क्रमांक प.18(2)गृह-1/2016 दिनांक 10.06.2016 द्वारा निर्धारित मानदेय एवं सुविधायें देय होगी।

आज्ञा से

६०

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मान0 गृहमंत्री महोदय, राज0 जयपुर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह/शासन सचिव, गृह।
5. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही।
7. पुलिस अधीक्षक, सिरोही को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त समिति के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यगण को अपने स्तर से सूचित करावें।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, शासन सचिवालय जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

(कैलाश चन्द्र गुप्ता)

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस